संख्या-14/2023/1039/77-6-2023-6099/77/2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यूपीसीडा/यूपीडा/यीडा/गीडा/सीडा।
6. प्रबंध निदेशक, पिकप।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2023**

विषय: एमओयू क्रियान्वयन तंत्र के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक में अवगत कराना है कि प्रदेश में अधिकाधिक औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य में निवेश करने के उद्देश्य से विश्वभर के निवेशकों द्वारा प्रदेश सरकार के 35 विभागों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के साथ लगभग 20,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों (MoU: Memorandum of Understanding) पर 'निवेश सारथी' पोर्टल के माध्यम से हस्ताक्षर किए गए हैं।

2- राज्य सरकार निवेशकों को उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) के क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी तथा समझौता ज्ञापनों के ससमय क्रियान्वयन व नियमित अनुश्रवण के लिए एक सुदृढ़ तंत्र भी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

3- समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसका ढांचा निम्न प्रकार होगा-

(क)विभागों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की भूमिका

1. समस्त समझौता ज्ञापनों (MoU: Memorandum of Understanding) के क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा उनमें वर्णित निवेश आशय को साकार करने का सम्पूर्ण दायित्व उस प्रशासनिक विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का होगा जिसकी संस्तुति के आधार पर समझौता ज्ञापन (MoUs) हस्ताक्षरित किये गये थे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. जहां निवेशकों द्वारा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से संबंधित विषयों पर समझौता ज्ञापन (MoUs) हस्ताक्षरित किये गये, वहां उन समझौता ज्ञापनों (MoUs) के क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा उनमें वर्णित निवेश आशय को साकार करने का सम्पूर्ण दायित्व उस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का होगा ।
3. समस्त विभागों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने से संबंधित निवेशकों से सम्पर्क स्थापित कर निवेश सारथी पोर्टल पर विकसित ''प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन फार्म'' पर अनिवार्य रूप से अगले 30 दिन में प्रविष्टि की जानी होगी तथा इस फार्म को नियमित रूप से अपडेट (Update) किया जाना होगा। इसी फार्म में विभागों/प्राधिकरणों द्वारा परियोजना को 'शुभारंभ हेतु तैयार' (Ground-breaking Ready) के रूप में टैग किया जाएगा।
4. समस्त विभागों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने से संबंधित शीर्ष के 10 निवेशक/MoU हस्ताक्षरकर्ता के साथ अपने विभाग के किसी अभिज्ञ अधिकारी को handholding के लिए नामित किया जाएगा, जो कि उस निवेशक के लिए एकल सम्पर्क बिन्दु (Single Point of contact) के रूप में कार्य करेगा ।
5. इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा प्रत्येक निवेशक को मा0 मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के अन्तर्गत भी एक एकल सम्पर्क बिन्दु (Single Point of contact) आवंटित किया जाएगा।

(ख) MoUs के अनुश्रवण के लिए त्रि-स्तरीय संस्थागत फ्रेमवर्क-

1. जनपद-स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई (जनपदीय एमआईयू):

राज्य के समस्त जनपदों में जनपद-स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जनपद के जिलाधिकारी करेंगे तथा संबंधित जिला उद्योग केंद्र इसके सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे। इस इकाई में मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, यूपीसीडा/संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, अग्निशमन सेवा के प्रतिनिधि एवं अपर जिलाधिकारी (एफ/सी) सम्मिलित होंगे। जनपदीय एमआईयू में जिलाधिकारी द्वारा जनपद-स्तर के समस्त संबंधित हितधारकों को सम्मिलित किया जा सकेगा तथा निवेश सारथी पोर्टल का लॉग-इन जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त द्वारा संचालित किया जाएगा। इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा प्रत्येक जनपद में भी एक उद्यमी मित्र तैनात किया जाएगा ।

1.1. निवेश सारथी पोर्टल पर जनपदीय एमआईयू हेतु मैप किए गए समस्त MoUs पर अनुवर्ती कार्यवाही (Follow-up-Action) का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपदीय एमआईयू का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होगा। प्रत्येक एमओयू से संबंधित अनुवर्ती कार्यवाही का विवरण प्रत्येक 15 दिनों में पोर्टल पर प्रविष्ट करके अद्यतन (Update) किया जाना होगा।

1.2. भूमि से सम्बंधित विकल्प उपलब्ध कराना तथा जनपद स्तर से समस्त Clearances/NoCs को समयबद्ध रूप से निवेशको को उपलब्ध कराना भी इस इकाई का दायित्व होगा|

1.3. संबंधित मण्डलायुक्त स्तर पर प्रत्येक 15 दिनों में जनपदीय एमआईयू की समीक्षा की जाएगी। ऐसे प्रकरणों का जिनका जनपद/मण्डल स्तर पर समाधान (resolve) नहीं हो पा रहा है उन्हें पोर्टल के माध्यम से फ्लैग भी किया जाये।

2. विभाग-स्तरीय एमओयू कार्यान्वयन इकाई (विभागीय एमआईयू):

उत्तर प्रदेश शासन के उन समस्त विभागों को विभागीय एमआईयू गठित करनी होगी, जिनके द्वारा निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से एमओयू हस्ताक्षर करने हेतु निवेश-आशयों को अनुमोदित किया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव एमआईयू के अध्यक्ष होंगे तथा एमओयू अनुमोदित करने के लिए विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे एवं लॉग-इन को संचालित करेंगे। विभाग में कार्यरत् परामर्शी भी इस कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

2.1. निवेश सारथी पोर्टल पर विभागीय एमआईयू हेतु मैप किए गए समस्त MoUs पर अनुवर्ती कार्यवाही (Follow-up-Action) का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागीय एमआईयू का होगा। प्रत्येक MoUs से संबंधित अनुवर्ती कार्यवाही का विवरण प्रत्येक 15 दिनों में अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

2.2. शासनादेश के निर्गत होने के 30 दिवस के अंदर समस्त विभागीय एमआईयू द्वारा निवेशकों से संपर्क करके उनकी की भूमि, विद्युत व जल संयोजन आदि की आवश्यकताओं को “Project Facilitation Form” पर अंकित कराया जाएगा।

2.3. विभागीय एमआईयू द्वारा जनपदीय एमआईयू से संपर्क स्थापित करके भूमि आवंटन सुविधा, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाएगी तथा निवेशकों की अन्य आवश्यकताओं/ समस्याओं/ कठिनाइयों का निराकरण किया जाएगा।

3. एमओयू मॉनिटरिंग यूनिट (एमएमयू):

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एमओयू मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा समस्त विभागों एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा MoUs के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी एवं निवेशकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3.1. **एमएमयू का संघटन (Composition) निम्नवत है-**

1	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यत तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
7	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा।	सदस्य
8	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा।	सदस्य
9	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।	सदस्य
10	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण।	सदस्य
11	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण।	सदस्य
12	सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य
13	महानिदेशक, अग्निशमन विभाग, उ0प्र0।	सदस्य
14	निदेशक, विद्युत सुरक्षा।	सदस्य
15	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी।	सदस्य
16	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी।	सदस्य सचिव
17	विभागीय एमआईयू के नोडल अधिकारी।	विशेष आमंत्री सदस्य

(ग) एमओयू अनुश्रवण हेतु इनवेस्ट यूपी स्तर पर गठित सपोर्ट यूनिट

इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा 08 सपोर्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी जिसकी विस्तृत संरचना **संलग्नक-1** में दर्शित है। प्रत्येक सपोर्ट यूनिट कुछ विभागों का समामेलन होगा तथा निवेशक के साथ अनुवर्ती कार्यवाही में सपोर्ट यूनिट द्वारा विभागीय एमआईयू एवं जनपदीय एमआईयू को समस्त आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(घ) निवेशकों के प्रकरणों हेतु निस्तारण तंत्र

एमओयू अनुश्रवण तथा क्रियान्वयन के अतिरिक्त निवेशकों के कतिपय प्रकरणों के निस्तारण हेतु निवेश सारथी पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी। इन प्रकरणों को विभागीय एमआईयू एवं जनपदीय एमआईयू द्वारा इनवेस्ट यूपी की सपोर्ट यूनिट के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रूप से प्रकरणों का निस्तारण किया जाना होगा, जिसकी विस्तृत प्रक्रिया **संलग्नक-2** में वर्णित है।

(ड.)भूमि आवंटन/अर्जन हेतु सुविधा तंत्र-

एमओयू हस्ताक्षर करने वाले निवेशकों को भूमि आवंटन/अर्जन हेतु सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निवेश सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी तथा निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुश्रवण किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में जनपदीय एमआईयू द्वारा भूमि की उपलब्धता के संबंध में अपनी आख्या उपलब्ध करायी जाएगी एवं ऐसे प्रकरणों का विभागीय एमआईयू द्वारा इन्वेस्ट यूपी की सपोर्ट यूनिट द्वारा समीक्षा की जाएगी। जिसकी विस्तृत प्रक्रिया **संलग्नक-3** में वर्णित है।

(च) अन्य बिन्दु

- निवेशक द्वारा एमओयू के निरसन किये जाने के आवेदन करने पर अथवा यदि विभाग को ऐसा प्रतीत होता है कि एमओयू का कार्यान्वयन करना सम्भव नहीं है तो विभागीय एमआईयू द्वारा सम्पूर्ण कारणों सहित अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा एमओयू के निरसन हेतु अंतिम निर्णय का अधिकार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त को होगा। निरसित एमओयू पर किसी भी स्तर पर अग्रेतर समीक्षा हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
- समझौता ज्ञापनों (MoUs) में ऑनलाइन पोर्टल पर आने वाली तकनीकी कठनाईयों के निदान के लिए इन्वेस्ट यू.पी. में मोहम्मद वली अब्बास, निदेशक आई.टी., मो.न. 9415157990 व ईमेल आई.डी. waliabbas@investup.org.in, श्री गौरव पाण्डेय मो.न. 7071000170 एवं श्री अनुज अवस्थी मो.न. 9452255533 व ईमेल आई.डी. advantageup@investup.org.in पर संपर्क कर सकते हैं ।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार समझौता ज्ञापनों (MoUs) के संस्थागत क्रियान्वयन तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र

मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य स्टॉफ सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ.प्र. शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अनिल कुमार सागर

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

इनवेस्ट यूपी स्तर पर गठित सपोर्ट यूनिट की विस्तृत संरचना

विभाग	सपोर्ट यूनिट	सपोर्ट यूनिट की संरचना	मोबाइल नो.
• पशुपालन • मत्स्य • कृषि	**सपोर्ट यूनिट-1**	श्री मोहित वर्मा, जूनियर एक्जीक्यूटिव, इन्वेस्ट यूपी	9838597774
		श्री मनोज कृष्ण, जूनियर एक्जीक्यूटिव, इन्वेस्ट यूपी	9918974800
		सुश्री अनुभा श्रीवास्तव, परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी	9769020569
		श्री जयदीप वर्मा, परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी	7507966136
• हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग • पर्यटन • वन	**सपोर्ट यूनिट-2**	श्री हरगोविंद सिंह, प्रोटोकॉल अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी	9918151969
		श्री सुशील त्रिपाठी, प्रोटोकॉल अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी	9532804552
		सुश्री कल्याणी शर्मा, परामर्शी- इन्वेस्ट यूपी	8130873471
		सुश्री प्रज्ञा शर्मा, परामर्शी- इन्वेस्ट यूपी	9654123103
• प्राविधिक शिक्षा • चिकित्सा शिक्षा • कौशल विकास • उच्च शिक्षा • बेसिक शिक्षा • दुग्ध विकास	**सपोर्ट यूनिट-3**	श्री एस. के. पाठक, कोऑर्डिनेटर, इन्वेस्ट यूपी	9454413158
		श्री आनंद पाण्डेय, प्रोटोकॉल अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी	9415007008
		श्री अनुज अवस्थी, परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी	9452255533
		सुश्री शिवानी चौहान, परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी	9870148616
• आवास एवं शहरी नियोजन • नगर विकास • ऊर्जा • यूपीनेडा • आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	**सपोर्ट यूनिट-4**	श्री एस के पाठक, कोऑर्डिनेटर, इन्वेस्ट यूपी	9454413158
		श्री आनंद पाण्डेय, प्रोटोकॉल अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी	9415007008
		श्री नबील जाफरी, परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी	7985423836
		श्री अभिजीत सिंह, परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी	9899095770

विभाग	सपोर्ट यूनिट	सपोर्ट यूनिट की संरचना	मोबाइल नो.
• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग	**सपोर्ट यूनिट -5**	श्री शिव कुमार शुक्ला, को-आर्डिनेटर, इन्वेस्ट यूपी	9793403333
		श्री राजीव दीक्षित, निदेशक, इन्वेस्ट यूपी	9415023302
		श्री अविनाश कुमार, परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी	9407052485
		श्री प्रतीक कुमार, परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी	7317853240
• आबकारी • चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास • चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण • खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन • खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति • सहकारिता • सूचना एवं जनसंपर्क • परिवहन • खनिकर्म • उद्यान एवं खाद्य-प्रसंस्करण	**सपोर्ट यूनिट -6**	श्री पंकज अरोड़ा, निदेशक, इन्वेस्ट यूपी	9839222090
		मोहम्मद वली अब्बास, निदेशक, इन्वेस्ट यूपी	9415157990
		श्री तकी रज़ा, परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी	9990431817
		श्री रजनीकांत चतुर्वेदी, परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी	9910108348
• उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) • नोएडा प्राधिकरण • ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण • यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) • अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास • उ.प्र. एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)	**सपोर्ट यूनिट -7**	श्री शिव कुमार शुक्ल, कोऑर्डिनेटर, इन्वेस्ट यूपी	9793403333
		श्री सुशील त्रिपाठी, प्रोटोकॉल अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी	9532804552
		श्री सैयद मजहर, परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी	9389605209
		श्री प्रतीक कुमार, परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी	7317853240
शीर्ष के 21 निवेशकों हेतु	**सपोर्ट यूनिट -8**	श्री शिव कुमार शुक्ल, कोऑर्डिनेटर, इन्वेस्ट यूपी	9793403333
		मोहमम्द वली अब्बास, निदेशक, इन्वेस्ट यूपी	9415157990
		श्री डी पी दास, वरिष्ठ निदेशक - ई एण्ड वाई, इन्वेस्ट यूपी	9810195159
		श्री गौरव पांडे, परामर्शी, इन्वेस्ट यूपी	7071000170

संलग्नक-2

<u>निवेशकों के प्रकरणों हेतु निवारण तंत्र की विस्तृत प्रक्रिया</u>

- **चरण-1:** निवेशक, उद्यमी मित्र अथवा कंट्री हेल्पडेस्क द्वारा निवेश सारथी पोर्टल पर समस्या की सूचना दी जाएगी।

- **चरण-2:** इन्वेस्ट यूपी ऐड्मिन द्वारा एमओयू अनुमोदित करने वाले विभाग / निवेश के सेक्टर के आधार पर सूचित किए गए प्रकरण को संबंधित एसबीयू को आवंटित किया जाएगा।

- **चरण-3:** संबंधित सपोर्ट यूनिट या तो स्वयं प्रकरण के समाधान हेतु कार्यवाही करेगी अथवा प्रकरण के प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर समाधान के लिए विभागीय एमआईयू को प्रेषित करेगी।

- **चरण-4:** विभागीय एमआईयू के पास विकल्प होगा कि वह या तो स्वयं समस्या के समाधान हेतु कार्यवाही करे अथवा प्रकरण के प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर समाधान के लिए जनपदीय एमआईयू को संदर्भित करे अथवा एमएमयू को प्रेषित करे।

- **चरण-5:** विभागीय एमआईयू द्वारा संदर्भित ऐसे सभी विषयों को जनपदीय एमआईयू द्वारा आगामी जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि जनपद स्तरीय उद्योग बंधु बैठक में समस्या का समाधान/प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, तो जनपदीय एमआईयू द्वारा इसकी सूचना विभागीय एमआईयू को दी जाएगी अन्यथा प्रकरण मण्डल स्तरीय उद्योग बंधु बैठक / राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु को संदर्भित किया जाएगा।

संलग्नक-3

भूमि आवंटन/अर्जन हेतु सुविधा तंत्र की चरणबद्ध प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी:

- **चरण-1:** निवेशक द्वारा निवेश सारथी पोर्टल पर भूमि आवंटन सुविधा फॉर्म भरा जाएगा, जिसे सपोर्ट यूनिट को अग्रसारित किया जाएगा। इस कार्य के लिए विभागीय एमआईयू एवं सपोर्ट यूनिट द्वारा प्रत्येक निवेशक से संपर्क स्थापित करके उक्त ऑनलाइन फॉर्म को भरवाया जाएगा।

- **चरण-2:** सपोर्ट यूनिट भूमि आवंटन सुविधा हेतु आवेदन को संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को अग्रेषित करेगा, जहां भूमि की आवश्यकता है।

- **चरण-3:** सरकारी भूमि की आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भूमि आवंटन सुविधा हेतु अनुरोध को अग्रेषित करेंगे अन्यथा निजी भूमि अधिग्रहण के प्रकरण में भूमि को चिन्हित करने के लिए जनपदीय एमआईयू को प्रेषित किया जाएगा।

- **चरण-4:** संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण/जनपदीय एमआईयू द्वारा या तो उपलब्ध भूमि विकल्पों को जिलाधिकारी को सूचित किया जा सकता है अथवा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भूमि की अनुपलब्धता की रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।

- **चरण-5:** जिलाधिकारी या तो निवेशक को भूमि आवंटन से संबंधित विकल्प वापस भेज सकते हैं या औद्योगिक विकास प्राधिकरण/जनपदीय एमआईयू को अतिरिक्त/अन्य भूमि विकल्प प्रदान करने का अनुरोध कर सकते हैं। भूमि की अनुपलब्धता के प्रकरण में जिलाधिकारी जनपदीय एमआईयू के माध्यम से संबंधित मण्डलायुक्त को आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। मण्डलायुक्त को यह अधिकार होगा कि वह निवेश का जनपद परिवर्तित करके उसी मण्डल के अंतर्गत किसी अन्य जिलाधिकारी को आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। नए जिलाधिकारी को भूमि आवंटन सुविधा का अनुरोध के पुर्नआवंटन के प्रकरण में चरण 3 से प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाएगी।

- **चरण-6:** यदि जिलाधिकारी भूमि से संबंधित विकल्पों को निवेशक को अग्रेषित करता है, तो निवेशक या तो उपलब्ध कराए गए भूमि विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकता है या सभी विकल्पों को अस्वीकार कर सकता है। भूमि विकल्प के चयन के प्रकरण में, संबंधित विभागीय एमआईयू एवं सपोर्ट यूनिट को सूचित किया जाएगा तथा भूमि आवंटन को पूर्ण किया जाएगा। यदि निवेशक भूमि के सभी विकल्पों को अस्वीकार कर देता है, तो चरण 3 से पूरी प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाएगी।